न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 139/2023

1. पूजारानी पुत्री खजानचन्द पत्नि जयगोपाल जाति अरोड़ा निवासी श्रीविजयनगर

.......प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :–09.02.24

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थीया के नाम चक 31 केवाईडी के मु0नं0 240/12 में कृषि भूमि दर्ज है जो कि प्रार्थीया के पिता खजानचन्द पुत्र भगवानचन्द की मृत्यु के बाद विरासतन दर्ज हुई है जो कि प्रार्थीया सुमित्रा पुत्री खजानचन्द नाम से दर्ज है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम पूजारानी पुत्र खजानचन्द है जबकि विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाते समय प्रार्थीया का घरेलु नाम सहवन से सुमित्रा दर्ज हो गया जो कि गलत है प्रार्थीया राजस्व रिकॉर्ड में वास्तविक नाम पूजारानी दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थीया ने अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में सुमित्रा की जगह पूजारानी अंकित करने के आदेश का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र में सहखातेदारों का सहमतिपत्र, जनाधार, आधारकार्ड, राशनकार्ड, ग्राम पंचायत बींझबायला वारिसान प्रमाण पत्र व तस्दीक, नगरपालिका उपाध्यक्ष का शपथपत्र छायाप्रति, नामान्तरण प्रति इत्यादि प्रस्तुत किया । तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम सुमित्रादेवी दर्ज है एवं प्रार्थीया अपना नाम पूजारानी करवाना चाहती है। पत्रावली पर सुना गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादगत भूमि चक 31 केवाईडी के मु0नं0 240/12 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम सुमित्रादेवी की जगह पूजारानी उर्फ सुमित्रा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 31 केवाईडी के मु0नं0 240/12 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम सुमित्रा की जगह पूजारानी उर्फ सुमित्रा नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)